डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जून, 2024, डिस्पेच दिनांक 1 जून, 2024

| वर्ष 68 | अंक 01 | भोपाल | 1 जून, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

खरीफ के लिए सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

फसल उपार्जन में अच्छी गुणवत्ता की पैदावार लाने वाले किसानों को सम्मानित व पुरस्कृत किया जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की कृषि आदान की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खरीफ के लिए सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कालाबाजारी की संभावना निर्मित न हो। प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से निरंतर सम्पर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषकों को संतुलित उर्वरक एनपीके के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में कृषि आदान की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव सहकारिता श्रीमती दीपाली रस्तोगी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में यूरिया, डीएपी, एनपीक., एसएसपी और एमओपी उर्वरक की माँग, अब तक प्राप्त मात्रा तथा वितरण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। बैठक में धान, कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास आदि के बीज की उपलब्धता की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फसल उपार्जन में अच्छी गुणवत्ता की पैदावार लाने वाले किसानों को सम्मानित व पुरस्कृत करने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाए।

भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करना जरूरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खाद के उपयोग को

बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। बॉयो फर्टिलाइजर का उपयोग करने वाले किसानों की मदद के लिए व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे कृषक ऑर्गेनिक उत्पाद लेने के लिए आगे आएं। पशुपालन-कम्पोस्टिंग को समन्वित करते हुए श्रीअन्न की उपज लेने के लिए भी किसानों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। इससे फसल चक्र को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी और भूमि की उर्वरकता भी लंबे समय तक बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ-वंश की सुरक्षा और उनकी उचित देखभाल के लिए गौ-सेवा संगठनों, सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं के साथ ग्राम स्तर पर पहल की जाए।

मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु 5 जून तक पंजीयन किया जाएगा

शिवपुरी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा विपणन वर्ष 2024-25 में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अंतर्गत ई-उपार्जन पोर्टल पर ग्रीष्मकालीन फसल मूंग के कृषक पंजीयन की कार्यवाही हेतु जिला उपार्जन समिति से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा पर जिले में 07 पंजीयन केन्द्र स्थापित किए गए है।

ग्रीष्मकालीन फसल मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए 5 जून तक पंजीयन किया जाएगा। निर्धारित पंजीयन केंद्रों में तहसील शिवपुरी में सेवा सहकारी संस्था कोटा, तहसील कोलारस के लिए विपणन सहकारी संस्था कोलारस, तहसील नरवर के लिए विपणन सहकारी संस्था नरवर, तहसील कैरा के लिए विपणन सहकारी संस्था कैरा, तहसील पिछोर के लिए विपणन सहकारी संस्था पिछोर, तहसील पोहरी के लिए विपणन सहकारी संस्था पोहरी एवं विपणन सहकारी संस्था खनियाधाना

शामिल है। सभी पंजीयन संस्था शासन के निर्देशानुसार प्रातः 7 बजे से रात 9 बजे तक कृषक पंजीयन का कार्य करना सुनिश्चित करें। कृषक से वर्ष 2024 की ग्रीष्मकालीन मूंग पैदावार में से मण्डी एवं अन्य स्थान पर विक्रय की गई मूंग की जानकारी भरने की व्यवस्था कर कृषक द्वारा पंजीयन के समय प्रदाय की जा रही जानकारी को सत्यापित करने का प्रावधान रहे एवं उसके द्वारा भरी जा रही जानकारी सही है भी अंकित किया जाए। कृषकों से पंजीयन के समय ही आधार नम्बर से लिंक बैंक खाता नंबर लिया जाएगा एवं शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी।

किसान भाई, कृषि सिंचाई उपकरणों हेतु 15 मई से 5 जून 2024 तक पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकते है

झाबुआ : किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अन्तर्गत सिंचाई उपकरण जैसे ड्रीप सिंचाई, स्प्रिंकलर सेट, पम्प सेट (डीजल /विद्युत) पाईप लाईन सेट इत्यादि अनुदान पर क्रय करने के लिये किसान भाई ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की लिंक https://dbt.mpdage.org पर 15 मई 2024 से 5 जून 2024 तक अपने आनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें। किसान भाईयो के द्वारा निर्धारित अवधि में पंजीयन कराने के पश्चात प्राप्त आवेदनो में से लक्ष्यों के विरुद्ध ऑन लाईन लॉटरी संपादित की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जावेगीं। किसान भाई जिले में निम्न योजनाओं में आनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैः- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरिगेशन) स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम। राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन-स्प्रिंकलर सेट, पम्प सेट (डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन- स्प्रिंकलर सेट, पम्प सेट (डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट।

किसान भाईयो से अनुरोध है कि उपरोक्त कृषि सिंचाई उपकरणो को अनुदान प्राप्त करने हुत नजदीकी कियोस्क सेंटर में अधिक से अधिक मात्रा में ऑन लाईन पंजीयन करावे। योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये अपने विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा अपने क्षेत्र में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते है। पंजीयन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज कृषक का आधार कार्ड, कृषक की बैंक पास बुक, कृषक की भूमि संबंधी जानकारी एवं जाति प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज ले जाये।

पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रशिक्षण सम्पन्न

मध्यप्रदेश की 1001 पैक्स लाइव हुईं – मनोज गुप्ता, प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक

भोपाल | अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज एवं नाबार्ड के संयुक्त तत्वाधान में जिला बैंक के कोर मास्टर ट्रेनर्स के 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 13.05.2024 से 17.05.2024 तक) अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज की प्राचार्या एवं संयुक्त आयुक्त, सहकारिता श्रीमती अरूणा दुबे एवं नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री कमर जावेद, उपमहाप्रबंधक श्री नन्दू जे. नाइक के उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी उपस्थित प्रशिक्षाणार्थियों से समूह चर्चा एवं फीडबैक के आधार पर इन्टलेक्ट से उपस्थित ट्रेनर्स श्री जितेन्द मांझी, श्री त्रिलोचन सिंह, श्री मनोज कुमार, श्री अभिषेक, श्री लीला नागेन्द्र, श्री रमेश रेड्डी, श्री जितेन्द जोशी,श्री चन्द्र प्रकाश जी द्वारा प्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको के 129 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया एवं उनके द्वारा कार्य- व्यवहार के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों एवं समस्याओं का निराकरण भी किया।

अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज, भोपाल की प्राचार्या श्रीमती अरूणा दुबे के द्वारा इन्टलेक्ट टीम के 08 सदस्यों एवं अतिथियों को मोमेंटो भेट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्रबंधक आई. टी. श्री आशीष राजोरिया, संकाय सदस्य आर. के. चौरागड़े के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन श्री अरविंद बौद्ध ने किया।

उल्लेखनीय है कि उक्त पॉच दिवसीय पैक्स कम्प्यूटराईजेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता एवं नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री कमर जावेद, उपमहाप्रबंधक श्री नन्दन जे. नाइक, प्राचार्य श्रीमती अरुणा दुबे, उप महाप्रबंधक श्री आर.एस.चंदेल (आई. टी./एच.आर.एम.डी.) ने किया था।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने अवगत कराया कि मध्य प्रदेश की 1001 पैक्स लाइव हो गई है और अति शीघ्र ही हम इस क्षेत्र में प्रगति हेतु प्रयासरत है। श्री गुप्ता ने कुशल मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बैंक की प्रशासक एवं प्रमुख सचिव सहकारिता श्रीमती दीपाली रस्तोगी एवं आयुक्त सहकारिता श्री मनोज सरयाम का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

प्रशासन की निगरानी में बांटे कपास बीज

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के प्रयासों से हुई बेहतर व्यवस्था

कृषकों ने व्यवस्था पर जताई खुशी

अब टोकन व्यवस्था नहीं लागू रहेगी, सीधे किसान अपने अपने निर्धारित निजी विक्रेताओं से संपर्क करेंगे

खरगोन :पिछले दिनों कंपनी विशेष कपास बीज के लिए जिले के किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने व्यवस्था का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हुए पूरी प्रशासनिक जमावट की। साथ ही कंपनी अधिकारियों से चर्चा कर कपास बीज तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिसके फलस्वरुप आज से पूर्व में बांटे गए टोकन अनुसार विभिन्न स्थानों से कपास बीज का वितरण किया गया। किसानों को कपास बीज का वितरण खुले हवादार एवं छायादार जगहों से किया गया। जहां टेंट, आरओ शीतल पेजयल की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। कृषकों को टोकन अनुसार प्रति टोकन 2-2 कपास बीज के पैकेट दिए गए। साथ ही वहां राजस्व एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। वितरण हेतु सभी स्थानों पर तीन से चार की संख्या में काउंटर भी बनाए गए थे ताकि किसानों को कपास बीज प्राप्त करने में अधिक समय ना लगे।

प्रशासन के विशेष प्रयासों से कंपनी के द्वारा खरगोन जिले को विशेष रूप से कपास बीज सप्लाई की जाकर तत्काल 20 हजार पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में रासी 659 क़िस्म के बीज सोमवार को वितरीत किए गए जो सभी बट चुके है। अब 03 दिवस बाद इस बीज के आवक की संभावना है। किसानों से आग्रह किया जाता कि अन्य किस्म के बीज मार्केट में उपलब्ध है। उन बीजों को भी किसान खरीदे किसी एक प्रकार के बीज उपयोग में लेने से फसल नष्ट हो सकती है।

उपसंचालक कृषि श्री एमएल चौहान ने बताया कि दो से चार दिनों में पर्याप्त बीज कंपनी विशेष के मार्केट में उपलब्ध होंगे। किसान अन्य कंपनी के कपास बीज भी खरीदे। अतः शेष कृषक एक-दो दिन धीरज रखे। कृषि वैज्ञानिकों ने चेताया कि सभी कृषक यदि एक ही बीज की बुवाई करेंगे तो बीमारी फैलने पर बहुत घातक होगा इसलिए किसान अपने खेतों में दो या तीन वैरायटी के बीजों की बुवाई करें। ज्ञातव्य है कि अन्य प्रमाणित और कंपनियों के बीज बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

किसानों ने दिया प्रशासन को धन्यवाद

ग्राम सुर्वा से आए कृषक श्री देवराम यादव ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को टोकन मिला था एवं सोमवार बीज देने को कहा गया था। सोमवार को बिना लाइन में लगे तुरंत बीज मिल गया है। इसी प्रकार ग्राम टेमला के प्रतीक पाटिल, ग्राम लाखी बिलाली के भोलाराम कालूजी ने उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।

कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में इंदौर संभाग प्रदेश में बेहतर उदाहरण

किसानों को परम्परागत खेती की बजाय आधुनिक एवं लाभप्रद खेती से जोड़ा जाये

कृषि उपज मंडियों को हाईटेक एवं कैशलेस करें

थाई अमरूद, ड्रेगन फ्रूट, स्ट्राबेरी सहित अन्य लाभप्रद फलों का रकबा बढ़ाया जाये

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मिश्रा की अध्यक्षता में हुई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कृषि तथा इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों को दिये गये निर्देश

इन्दौर : कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में इंदौर संभाग प्रदेश में बेहतर उदाहरण है। इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक किसानों को परम्परागत खेती की बजाय आधुनिक एवं लाभप्रद खेती से जोड़ा जाये। संभाग की कृषि उपज मंडियों को हाईटेक एवं कैशलेस बनाया जाये। थाई अमरूद, ड्रेगन फ्रूट, स्ट्राबेरी सहित अन्य लाभप्रद फलों का रकबा बढ़ाया जाये। यह निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.एन. मिश्रा की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई कृषि तथा इससे जुड़े विभागों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दिये गये। इस बैठक में गत रबी सीजन की उपलब्धि तथा आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की गयी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अशोक वर्णवाल, संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, कलेक्टर इंदौर श्री आशीष सिंह, संचालक उद्यानिकी श्री शशिभूषण सिंह, अपर आयुक्त सहकारिता श्री मनोज सरियाम, संभाग के जिलों के कलेक्टर्स, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.एन. मिश्रा ने निर्देश दिये कि इंदौर संभाग में उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाये। हर किसान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। बीजों में गुणात्मक सुधार किया जाये। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाये। आसान रूप से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध करवाए। हर किसान का फसल बीमा भी करवाएं। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़े। परम्परागत खेती के बदले आधुनिक खेती पर जोर देवें। उन्होंने कहा कि मौसम की जानकारी पता करने के लिये नई एवं उच्च तकनीक आ गयी है। इस तकनीक से किसानों को जोड़ा जाये। संभाग में बीजों की नई किस्म को प्रोत्साहित किया जाये। आगामी रबी सीजन की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी जाये। गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म के बारे में किसानों को जानकारी देकर इसके उपयोग से उन्हें जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडियों को हाईटेक बनाया जाये। मंडियों का बेहतर प्रबंधन हो। मंडियों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाये। मंडियों में किसानों के लिए पर्याप्त सुविधा हो। ट्रांजेक्शन टाइम में कमी लाई जाये। ई-सुविधा विकसित हो। मंडियों में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ायें। मंडियों में आटो पैकेजिंग की व्यवस्था भी करें।

खाद/उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाये

बैठक में निर्देश दिये गये कि खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं का पूर्व से आंकलन कर पर्याप्त भंडारण कर लिया जाये। इसका सुलभ वितरण भी किसानों की मांग के अनुसार समय पर हो। बैठक में कहा गया कि खाद/उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाये। मृदा परीक्षण भी अधिक से अधिक करवाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाये। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए किसानों को तैयार करें।

अपर मुख्य सचिव श्री वर्णवाल ने कहा कि नरवाई जलाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाये। नरवाई के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देवें। किसानों को नरवाई जलाने के नुकसान बताये जाये। नरवाई के उचित प्रबंधन के फायदे बताये जाये।

बैठक में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि उद्यानिकी फसलों में इंदौर संभाग प्रदेश में अव्वल है। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मिश्रा ने कहा कि उद्यानिकी की खेती में नए उपकरण एवं नई मशीनों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। कृषि यंत्र एवं उपकरणों के लिए अनुदान संबंधी अनेक योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का सघन भ्रमण करें। किसानों से सीधा संवाद करें, खेती को मौके पर जाकर देखें। निर्देश दिये गये कि समय की मांग के अनुसार थाई अमरूद, ड्रेगन फ्रूट, स्ट्राबेरी, खीरा, रंग बिरंगी कैप्सिकम आदि उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देवें। कांट्रेक्ट फार्मिंग को भी बढ़ाये। बैठक में बताया गया कि आम की विश्व प्रसिद्ध प्रजाति नूरजहां को सरंक्षित किया जायेगा। संभाग में फल, फूल, मसालें एवं सब्जियों के रकबे को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर इंदौर श्री आशीष सिंह सहित संभाग के जिलों के कलेक्टरों ने कम लागत में अधिक उत्पादन लेने, किसानों की आमदनी बढ़ाने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किये जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।

यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण के लिये बना है पॉक्सो अधिनियम

भोपाल : यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (POCSO) अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया है। इस कानून के अर्न्तगत नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीडन, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड-छाड के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चों के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थित में होती है।

वर्ष 2012 में पॉक्सो कानून के लागू होने के बाद वर्ष 2020 में पॉक्सो अधिनियम में कई अन्य संशोधन के साथ ऐसे अपराधों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है।

पॉक्सो अंतर्गत आने वाले अपराध तथा दंड:

- प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा3)- कम से कम 10 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना (धारा 4)
- गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 5)- कम से कम 20 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन करावास/ मृत्यु दण्ड तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना (धारा 6)
- लैंगिक हमला (धारा 7)- कम से कम 3 वर्ष का कारावास, जिसे 5 वर्ष तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना (धारा 8)
- गुरूत्तर लैंगिक हमला (धारा 9)- कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जिसे 7 वर्ष तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, व जुर्माना (धारा 10)
- लैंगिक उत्पीडन (धारा 11)- 3 वर्ष का कारावास की सजा तथा जुर्माना (धारा 12)
- बच्चों का अश्लील उद्देश्यों/ पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करना (धारा 13)- 5 वर्ष का कारावास तथा उत्तरवर्ती अपराध के मामले में 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना (धारा 14-1)
- बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते समय यौन प्रताड़ना के गंभीर मामले (धारा 14-2)- कम से कम 10 वर्ष का कारावास जिसे आजीवन कारावास/मुत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है व जुर्माना।
- बच्चे का अश्लील उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल करते समय गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के अति गंभीर मामले- (धारा 14-3): सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना।
- बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते समय यौन प्रताड़ना के मामले- (धारा 14-4) : कम से कम 6 वर्ष का कारावास, जिसे 8 वर्ष के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, व जुर्माना।
- बच्चे का अश्लील उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल करते समय गुरूत्तर लैंगिक हमले के अति गंभीर मामले (धारा 14-5)- कम से कम 8 वर्ष का कारावास जिसे 10 वर्ष के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, व जुर्माना।
- बच्चे से संबंधित किसी भी अश्लील सामग्री को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रखना (धारा 15): 3 वर्ष कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों।
- एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए उकसाने हेतु भी दंड का प्रावधान है जो कि अपराध करने के समान ही है। इसमें बच्चों की यौन उत्पीड़न हेतु अवैध खरीद-फरोख्त भी शामिल है (धारा 16)
- किसी घटित अपराध की रिपोर्ट न दर्ज करना (धारा 21-1): 6 माह तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों।

मिट्टी में जिंक की कमी पूरी कर किसान प्रति हेक्टेयर छः हजार रुपये तक बढ़ा सकते हैं अपनी आय

जबलपुर : फसलों के विकास के लिए ज़िंक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह फसल उत्पादन के साथ- साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में भी सहायक है। मृदा में ज़िंक की कमी फसलों के लिये गंभीर समस्या है। इसलिये फसल उत्पादन में जिंक का उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। जिन खेतों में धान के बाद गेहूं की बोनी जाती है, वहाँ जिंक की आवश्यकता अधिक होती है।

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास रवि आम्रवंशी ने जिले के किसानों को मृदा में ज़िंक की कमी से फसलों को होने वाले नुकसान से अवगत कराते हुए ज़िंक की आपूर्ति के उपायों की जानकारी दी है।

श्री आम्रवंशी ने बताया कि धान की पत्तियों में कत्थई रंग के धब्बे ज़िंक की कमी का लक्षण है। यह सामान्य रूप से रोपाई के दो से चार सप्ताह के बाद दिखाई देते है। धब्बे आकार में बड़े होकर पूरी पत्ती में फैल जाते है। जिसे खैरा रोग के नाम से जाना जाता है। जिंक की अत्यधिक कमी होने पर कल्लों की संख्या कम हो जाती है, जड़ों की वृद्धि रूक जाती है एवं बालियों में बांझपन आ जाता है। फलस्वरूप फसल उत्पादन में कमी होती है। इसी प्रकार गेंहू में ज़िंक की अत्याधिक कमी की दशा में पत्तियों के मध्य भाग में मटमैले हरे रंग के धब्बे बनते हैं। यह बाद में गहरे हरें रंग में बदल जाते है तथा कुछ दिनों में पत्तियां गिर जाती है। पत्तियों के अग्रक एवं आधार हरे रहते है। गेहूं फसल में जिंक की कमी के कारण कल्ले कम बनते है, पौधों की बढ़वार कम हो जाती है और पौधा छोटा रह जाता है। अत्यधिक कमी की दशा में सैकडों कल्ले बनते है जो अत्यंत छोटे होकर झाड़ीनुमा हो जाते है।

श्री आम्रवंशी ने बताया कि ज़िंक की आपूर्ति के लिए ज़िंक सल्फेट एवं ज़िंक चीलेट्स समान रूप से प्रभावी उर्वरक हैं। ज़िंक सल्फेट 21 प्रतिशत तथा ज़िंक चीलेट्स 12 प्रतिशत ज़िंक की मात्रा से युक्त है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से सुलभ एवं प्रभावकारी हैं। मृदा विश्लेषण के आधार पर 25 से 50 किलोग्राम ज़िंक सल्फेट का प्रयोग प्रति हेक्टेयर भूमि में करने पर जिंक की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही फसल उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सकता है। श्री आम्रवंशी के मुताबिक जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का मूल्य लगभग एक हजार रुपए है। इसके द्वारा 15 से 20 प्रतिशत फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रति हैक्टेयर 5 से 6 हजार रुपए का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक बार जिंक सल्फेट डालने के तीन वर्ष तक उसका प्रभाव रहता है। साथ ही गेंहू फसल में भी पूरा उत्पादन मिलता है। सामान्यतः जिंक का प्रयोग खेती की तैयारी के समय खेत में भुरक कर या खड़ी फसल में जिंक सल्फेट 0.5 से 1 प्रतिशत का घोल बनाकर स्प्रे कर किया जा सकता है।

किसान भाई गर्मी में गहरी जुताई कराये, उत्पादन बढ़ायें - उप संचालक कृषि

सीधी : जिले के किसान भाई खाली खेतों की ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 9 से 12 इंच तक गहरी जुताई अवश्य करायें। उप संचालक कृषि द्वारा गहरी जुताई के संबंध में जानकारी देते हुये बताया गया कि खेतों की गहरी जुताई कराने से खरपतवार के बीज, कीड़ों के अण्डे एवं लार्वा आदि नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मृदा के भौतिक गुणों जैसे-मृदा में बातायन, पानी सोखने एवं जल धारण क्षमता, मृदा भुरभुरापन व भूमि संरचना में सुधार होता है तथा खरपतवार नियंत्रण एवं कीड़े मकोड़े तथा बीमारियों से नियंत्रण में सहायता प्राप्त होती है। साथ ही गहरी जुताई से उर्वरक प्रबंधन एवं जीवान्श पदार्थ के विघटन में काफी लाभ होता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।

मूंग एवं उडद के फसल की खरीदी का कार्य 18 जून से

उमरिया। उप संचालक कृषि ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन व्दारा ग्रीष्माकालीन व्दारा ग्रीष्म कालीन वर्ष 2024 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के तहत कैलेण्डर अनुसार मूंग एवं उडद के फसल कटाई का समय मई तृतीय सप्ताह से जून प्रथम सप्ताह तक एवं प्रस्तावित खरीदी का समय 18 जून से 31 जुलाई तक निर्धारित किया गया है। किसानो से अपेक्षा की गई है कि वे ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उडद के लिए स्लाट बुकिंग करा लेवे। जिससे प्रस्तावित खरीदी समय में मूंग एवं उडद का उपार्जन कार्य संपादित हो सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर राज्य सायबर पुलिस द्वारा एडवायजरी जारी

इन्दौर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में सायबर क्राइम से संबंधित घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आम नागरिकों को मोबाइल के उपयोग से संबंधित सावधानियां बरतने के लिए राज्य सायबर पुलिस को एडवाजरी जारी करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय द्वारा मोबाइल उपयोग में सावधानियां बरतने संबंधी एडवाइजरी जारी कर दी है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी अनजान नम्बर से आए कॉल पर विश्वास न करें, चाहे वह किसी शासकीय संस्था के नाम या शासकीय योजना का फायदा दिलवाने के नाम पर किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति आपको या आपके परिवारजनों को अनजान जगह मिलने बुलाता है तो जाने से परहेज करें या अपने साथ किसी समझदार व्यक्ति को लेकर जाएं। ऐसे व्यक्ति जिन पर आपको शक होता है कि वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में अपने परिजनों एवं मित्रों को बता कर रखें। वॉइस चैंजर एप्लीकेशन से तैयार की गई आवाज कई बार बेहद सुरीली व कम्प्यूटराइज्ड होती है अत: ऐसे किसी कॉल के आने पर ध्यान देवें की कहीं वह आवाज बनावटी तो नहीं है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि कोई आपका परिचित बनकर कॉल करता है तो उक्त कॉल को काट कर जिस परिचित के नाम से कॉल की गई है उसको उनके निजी नम्बर पर कॉल करके सुनिश्चित कर लें कि क्या उसी व्यक्ति के द्वारा आपको कॉल किया गया था। यदि आपके साथ भी कोई सायबर अपराध या इस तरह का अपराध घटित होता है या आपको किसी तरह की सायबर अपराध की जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या https://cybercrime.gov.in/ या Cyber Crime Help (Toll Free)नम्बर 1930 पर करें।

राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश

डिपो चौराहा, भदभदा रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश
Email-: mpcyberpolice@mppolice.gov.in, Contact:- 0755-2770341

THREAT ADVISORY

एडवाइजरी- 24 **दिनांक- 25/05/2024**

- वॉइस चेंजर एप्लीकेशन द्वारा अपराध के संबंध में -

INTRODUCTION/परिचय

Introduction

वर्तमान समय में मोबाइल के लिये विभिन्न तरीकों के एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जिनमें से कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कॉल करते समय आवाज को बदलने की सुविधा देते हैं जिसे **वॉइस चेंजर एप्लीकेशन** भी कहा जाता है। ऐसे एप्स प्ले स्टोर व अन्य स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी एप्लीकेशन का उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग, बच्चों तथा कम्प्यूटर(रोबोट) की आवाज में कॉल करके बात की जा सकती है।

MODUS OPRANDI / कार्य प्रणाली

MODUS OPERANDI

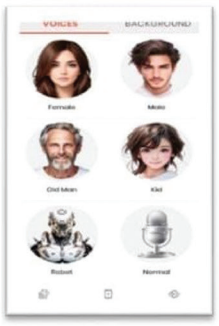

वर्तमान समय में कुछ प्रकरणों में ऐसा देखने में आया है कि अपराधी वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशन का दुरुपयोग करके खुदकी आवाज को महिला की आवाज में बदलकर छात्राओं एवं महिलाओं को कॉल करके किसी बहाने से अज्ञात स्थान पर बुलाकर बलात्कार तथा लूट जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।

यदि कोई अंजान व्यक्ति आपको कॉल करके महिला, बुजुर्ग, बच्चों आदि किसी आवाज में आपको किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर या डरा धमका कर आपको किसी अज्ञात स्थान पर बुलाने का प्रयास करें तो ऐसी किसी भी कॉल पर आप सतर्क हो जाएं। अपराधी ऐसे वॉइस चेंजिंग एप का इस्तेमाल करके आपको या आपके परिजन को किसी स्थान पर बुलाकर अपराध कारित कर सकते हैं जैसेः शारीरिक क्षति पहुंचाना, अभद्र कार्य के लिये मजबूर करना, पैसों की डिमांड करना आदि।

PRECAUTION / सावधानियां

PRECAUTION

1. किसी भी अन्जान नम्बर से आये कॉल पर विश्वास न करें, चाहे वह किसी शासकीय संस्था के नाम या शासकीय योजना का फायदा दिलवाने के नाम पर किये गये हों।
2. यदि कोई व्यक्ति आपको या आपके परिवारजनों को अंजान जगह मिलने बुलाता है तो या तो जाने से परहेज करें या अपने साथ किसी समझदार व्यक्ति को लेकर जायें।
3. ऐसे व्यक्ति जिन पर आपको शक होता है कि वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके बारे में अपने परिजनों एवं मित्रों को बता कर रखें।
4. वॉइस चैंजर एप्लीकेशन से तैयार की गयी आवाज कई बार बेहद सुरुली व कम्प्यूटराइज्ड होती है अतः ऐसे किसी कॉल के आने पर ध्यान देवें की कहीं वह आवाज बनावटी तो नहीं है।
5. यदि कोई आपका परिचित बनकर कॉल करता है तो उक्त कॉल को काट कर जिस परिचित के नाम से कॉल की गई है उसको उनके निजि नम्बर पर कॉल करके सुनिश्चित कर लें कि क्या उसी व्यक्ति के द्वारा आपको कॉल किया गया था।
6. यदि आपके साथ भी कोई सायबर अपराध या इस तरह का अपराध घटित होता है या आपको किसी तरह की सायबर अपराध की जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in या Cyber Crime Help Line (Toll Free) नम्बर 1930 पर करें।

योगेश देशमुख, भा.पु.से.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल

इंदौर संभाग में पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए बनेगी दूरगामी योजना

मत्स्य उत्पादन के साथ ही दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ाया जायेगा

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.एन. मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

इन्दौर : इंदौर संभाग में पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए दूरगामी योजना बनाई जायेगी। यह योजना जिलेवार तैयार होगी। संभाग में मत्स्य उत्पादन के साथ ही दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ाया जायेगा। यह जानकारी आज यहां कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.एन. मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में दी गई।

बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन/डेयरी श्री गुलशन बामरा, इंदौर संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, सचिव मछली पालन श्री नवनीत मोहन कोठारी, इंदौर कलेक्टर श्री आशीष सिंह सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित संभाग के जिलों में पदस्थ पशुपालन/पशु चिकित्सा, मछली पालन, दुग्ध संघ आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.एन. मिश्रा ने संभाग के जिलों में चल रही पशुपालन और मछली पालन संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि संभाग में पशुधन के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाये। गौ शालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किये जाये। इस दिशा में जिलेवार कार्य योजना तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि इंदौर संभाग दुग्ध और मछली उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में अव्वल है। इन क्षेत्रों को और अधिक विकसित करने के लिए दूरगामी योजनाएं बनाई जाये। बैठक में निर्देश दिये गये कि मत्स्य सहकारी संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय पर कराये जाये। नये लोगों को मत्स्य उत्पादन से जोड़ा जाये। नये चिन्हित कर बड़े जलाशयों/बैकवाटर क्षेत्र में भी मछली पालन शुरू किया जाये। बैठक में श्री मिश्रा ने पशु चिकित्सा विभाग, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ आदि विभागों की गतिविधियों की भी समीक्षा की। सभी कलेक्टर्स ने अपने-अपने जिले में किये जा रहें कार्यों की जानकारी दी। अंत में संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने आभार व्यक्त किया।

एफएसएसएआई ने फल व्यापारियों को फल पकाने में कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग न करने का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रति सचेत किया

नई दिल्ली, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने विशेष रूप से आम के मौसम में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पकने वाले कक्षों का संचालन करने वाले व्यापारियों/फल संचालकों/खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को सचेत किया है। एफएसएसएआई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों को एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैरकानूनी प्रथाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सतर्क रहने, गंभीर कार्रवाई करने और सख्ती से निपटने की सलाह दे रहा है।

कैल्शियम कार्बाइड, जो आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, से एसिटिलीन गैस निकलता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। ये पदार्थ, जिन्हें 'मसाल ' के नाम से भी जाना जाता है, चक्कर आना, मुँह सूखना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के अल्सर आदि जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, एसिटिलीन गैस के साथ काम करने वालों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। प्रयोग के दौरान यह संभव है कि कैल्शियम कार्बाइड फलों के सीधे संपर्क में आ जाए और फलों पर आर्सेनिक और फास्फोरस के अवशेष छोड़ जाए।

इन खतरों के कारण, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) के विनियमन 2.3.5 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस विनियमन में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति बिक्री या पेशकश नहीं करेगा या किसी भी विवरण के तहत बिक्री के उद्देश्य से अपने परिसर में बिक्री के लिए ऐसे फल नहीं रखेगा जो एसिटिलीन गैस, जिसे आमतौर पर कार्बाइड गैस के रूप में जाना जाता है, के उपयोग द्वारा कृत्रिम रूप से पकाया गया है।"

प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड के बड़े पैमाने पर उपयोग के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, एफएसएसएआई ने भारत में फलों को पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति दी है। एथिलीन

गैस का उपयोग फसल, किस्म और परिपक्वता के आधार पर 100 पीपीएम (100 µl/L) तक की सांद्रता में किया जा सकता है। एथिलीन, फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जो रासायनिक और जैव रासायनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू और नियंत्रित करके पकने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। कच्चे फलों को एथिलीन गैस से उपचारित करने पर प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जब तक कि फल स्वयं पर्याप्त मात्रा में एथिलीन का उत्पादन शुरू नहीं कर देता।

इसके अलावा, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) ने आम और अन्य फलों को एकसार पकाने के लिए एथेफॉन 39% एसएल को मंजूरी दे दी है।

एफएसएसएआई ने "कृत्रिम रूप से फलों को पकाना - एथिलीन एक सुरक्षित फल पकाने वाली गैस " (https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Guidance_Note_Ver2_Artificial_Ripning_Fruits_03_01_2019_Revised_10_02_2020.pdf) शीर्षक से एक व्यापक मार्गदर्शन दस्तावेज़ प्रकाशित किया है, जिसमें खाद्य व्यवसाय संचालकों को सुझाव दिया गया है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की प्रक्रिया का पालन करें। यह दस्तावेज़ एथिलीन गैस द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की रूपरेखा पेश करता है जैसे प्रतिबंध, एथिलीन पकाने की प्रणाली/चैंबर के लिए आवश्यकताएं, उपयोग की परिस्थिति, एथिलीन गैस के स्रोत, विभिन्न स्रोतों से एथिलीन गैस के अनुप्रयोग के लिए प्रोटोकॉल, उपचार के बाद संचालन, सुरक्षा दिशानिर्देश आदि शामिल हैं।

यदि उपभोक्ताओं द्वारा कैल्शियम कार्बाइड का कोई उपयोग या फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पकाने वाले केमिकलों का उपयोग करने का कोई गलत तरीका देखा जाता है, तो ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस मामले को संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के ध्यान में लाया जा सकता है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: https://www.fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php

जिले में उपार्जन कार्य निरंतर जारी, अब तक 1 लाख 9 हजार 849मैट्रिक टन गेहूं उपार्जित' उपार्जित गेहूं का किसानों को किया गया 166करोड का भुगतान 1 लाख 441 मैट्रिक टन गेहूं का हो चुका परिवहन उपार्जन कार्य में तहसील बहोरीबंद अव्वल

जिले में उपार्जन कार्य निरंतर जारी, अब तक 1 लाख 9 हजार 849 मैट्रिक टन गेहूं उपार्जित' उपार्जित गेहूं का किसानों को किया गया 166 करोड का भुगतान 1 लाख 441 मैट्रिक टन गेहूं का हो चुका परिवहन उपार्जन कार्य में तहसील बहोरीबंद अव्वल

कटनी, रबी विपणन वर्ष 2024 - 25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए जिले की समस्त तहसीलों में स्थापित उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से सोमवार 20 मई तक की अवधि में कुल 1 लाख 9 हजार 849 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है और इसमें से 1 लाख 441मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है। साथ ही किसानों से उपार्जित गेहूं का अब तक 166करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है।कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देशन में जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में उपार्जन का कार्य जारी है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने उपार्जित उपज का अविलंब परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। ताकि असमय मौसम खराब होने और बारिश से उपज खराब न हो। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में आवक रजिस्टर संधारित करने के साथ ही उपार्जन केंद्रों के लिये जारी नीति - निर्देशों के तहत केंद्रों में छन्ना, पंखा, मॉइश्चर मीटर, परखी, तिरपाल एवं कृषकों के बैठने के लिए छायादार व्यवस्था तथा पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निरंतर उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर खरीदी केन्द्रों में कार्य का जायजा लेने के निर्देश दिए है।तहसील बहोरीबंद अग्रणीजिले की समस्त तहसीलों में किये जा रहे उपार्जन कार्य में सोमवार 20 मई की स्थिति में तहसील बहोरीबंद निरंतर बढ़त बनाए हुए है। तहसील बहोरीबंद में अब तक कुल 5283 किसानों से 32 हजार 910 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कार्य किया जा चुका है इसमें से 31 हजार 744 मैट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है। जबकि दूसरे नंबर पर काबिज तहसील ढीमरखेड़ा मे 4361 किसानों से 24 हजार 600 मैट्रिक टन गेंहूं का उपार्जन किया जाकर 23 हजार 586 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है।

तीसरे नंबर पर तहसील विजयराघवगढ़ द्वारा 1999 किसानों से कुल 13 हजार 228 मैट्रिक टन गेंहूं का उपार्जन किया जाकर 10 हजार 258 मैट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है। वहीं चौथे नंबर पर तहसील स्लीमनाबाद में 1528 किसानों से 10 हजार 542 मैट्रिक टन की खरीदी की जाकर 10 हजार 443 मैट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है। इसी प्रकार पांचवे नंबर पर तहसील बरही द्वारा 1695 किसानों से 8 हजार 232 मैट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया जाकर 7 हजार 166 मैट्रिक टन गेंहूं का परिवहन भी किया जा चुका है।

छठवे नंबर पर तहसील रीठी द्वारा 1466 किसानों से 7 हजार 728 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी उपरांत 6 हजार 343 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन कार्य किया जा चुका है। वहीं सातवे नंबर पर तहसील बड़वारा में 1328 किसानों से 6 हजार 695 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी उपरांत 6 हजार 108 मैट्रिक टन गेहूं के परिवहन के साथ ही तहसील कटनी में 20 मई की स्थिति में कुल 990 किसानों से 5 हजार 913 मैट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जाकर 4 हजार 793 मैट्रिक टन गेंहू का परिवहन किया जा चुका है।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने की जबलपुर संभाग में खरीफ फसलों की तैयारियों की समीक्षा

जबलपुर : प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एसएन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री अशोक वर्णवाल, संभागीय कमिश्नर श्री अभय वर्मा की उपस्थिति में संभाग के समस्त जिलों के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व कृषि विभाग से सम्बद्ध अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा रबी 2023-24 की जिलेवार क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता तथा अन्य गतिविधियों की समीक्षा की गई साथ ही खरीफ 2024 की तैयारी हेतु आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।

अपर मुख्य सचिव श्री वर्णवाल द्वारा संभाग के समस्त जिलों की विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। जिसमें कृषकों को उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर रुझान बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई, बीजों में गुणात्मक सुधार कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग, फसलों का बीमा उर्वरक का समुचित उपयोग, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग कराने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही मुख्य रूप से किसानों को नरवाई न जलाने व उसके स्थान पर हौप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रारीपर का उपयोग बढ़ाने के लिए लक्ष्य दिये गये। जिससे खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार के साथ-साथ पर्यावरण सुधार भी होगा। विभाग में संचालित होने वाली नवीन योजना रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई कि इस योजना में शामिल होने वाले कृषकों को 10 प्रति किलो अनुदान राशि प्रदान की जायेगी, जिसमें कृषकों का ऑनलाईन पंजीयन कराने के निर्देश दिये गये।

कृषि के क्षेत्र में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु मौसम एप को जिलों के किसानों में अधिक से अधिक प्रसारित करें।

एमपी किसान एप का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिसमें ऐसे किसान जिनके पास कषि यंत्र है एवं जो किंसान कृषि यंत्र किराए पर लेना चाहता है. आपस में समन्वय स्थापित कर सकते है। समस्त कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इसमें पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें एवं कृषक को भी इस एप में पंजीकरण के लिये प्रेरित किया जावे। राज्य स्तर पर इस एप की मॉनिटरिंग की जावेगी कि किस जिले ने इसपर कितना काम किया।

मृदा परीक्षण को बढ़ावा देने के लिये ऐसी नीति का निर्माण किया जा रहा है जिसके तहत मृदा परीक्षण लैब का संचालन निजी क्षेत्र जैसे स्वयं सहायता समूह आदि के माध्यम से किया जाएगा। लैब द्वारा मृदा परीक्षण के लक्ष्य वितरित किये जायेंगे। जिससे लोगों को रोजगार के साथ ही मृदा परीक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। नीति जारी होते हुए ही इसे प्रारंभ कराना भी सुनिश्चित किया जावेगा।

प्रत्येक जिला 2 से 3 ऐसे क्लस्टर निर्मित करना सुनिश्चित करें जहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में उर्वरकों का कम से कम उपयोग किया जाए। जिले में यूरिया एवं डीएपी का उपयोग स्थिर हो सके इसके लिए एनपीके कॉम्प्लेक्सा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए एवं कृषकों के इसके उपयोग से होने वाले लाभों के संबंध में जागरूक किया जाये।

जिले में संचालित कृषक उत्पादन संगठन से निरंतर सपर्क में रहते हुए मॉनिटरिंग की जा रही है कि उनके द्वारा कृषक उत्पादन संगठन की तरह काम कर रहे अथवा नहीं, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है एवं उन्हें पीएमएफएमई, एआईसी, एसआरएलएम आदि योजनाओं में ऋण हेतु जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक जिले में ऐसा क्षेत्र चिन्हांकित करें, जहा कृषक उत्पादन संगठन न हो वहां जिलेवार कम से कम 02 कृषक उत्पादन संगठन बनवाने का प्रयास किया जाये।

अरहर की फसल को पाले से बचाने हेतु इसकी उन्नत बीज किस्म पूसा 16 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। यह भी सुनिश्चित हो कि जहां यह वैरायटी लगाई जाती है वहा उत्पादन में वृद्धि भी हो।

बायोफोर्टिफाईड गेहूं जैसे पूसा बानी, पूसा ओजस्वी, पूसा हर्ष आदि का अधिक से अधिक प्रचार- प्रसार करें। सभी जिले क्षेत्र विशेष में कलस्टर के आधार पर इसके उत्पादन को बढ़ावा दे। साथ ही आगामी रबी सीजन के पूर्व जेएनकेव्हीव्ही एवं बीज कंपनी को इसकी डिमांड प्रेषित कर दी जाये। फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु क्षेत्रयार एवं आवश्यकतानुसार कृषकों को सूक्ष्म पोषक तत्थों के उपयोग के संबंध में जानकारी दी जाये।

फसल बीमा कवरेज को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। प्रयास किया जाए लोनी किसानों के अलावा नॉन लोनी किसानों को भी फसल बीमा में पंजीकृत कराया जावे। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। फार्मगेट एप का अधिक से अधिक प्रचार- प्रसार किया जाये। समस्त कलेक्टर्स भी इसे निरंतर चैक करते रहे।

प्रेशराइज्ड पाईप प्रणाली सूक्ष्म इकाई परियोजना में सिवनी जिले में लामता माइको प्रेशराइज्ड पाईप इरीगेशन नेटवर्क व बिजना हर्राई प्रेशराइज्ड पाईप सिंचाई परियोजना इसी प्रकार जबलपुर में कुष्ठम विकासखंड अंतर्गत दरगढ़ बांध, छीता खुदरी बांध व सरोल बांध सिंचाई परियोजना अंतर्गत आने वाले कृषकों को 70 प्रतिशत स्प्रिंकलर व 30 प्रतिशत द्विप सिंचाई के लिये प्रेरित किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

खरीफ की बोनी के पहले किसानों को दी गई उर्वरकों के समुचित प्रयोग की सलाह

जबलपुर : खरीफ फसल की बोनी से पहले किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिले के किसानों को पौध-पोषक प्रबंधन के तहत नैनो तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी एवं अन्य उर्वरकों के समुचित प्रयोग की जानकारी प्रदान की गयी है| उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास रवि आम्रवंशी के मुताबिक़ संकर धान एवं संकर मक्का के लिए अनुशंसित नाईट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश 120:60:40, डी.एस.आर. पद्धति से बोनी के लिए 80:40:30 तथा दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए गंधक के साथ एन.पी.के. 20:60:20 बीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग में लाना चाहिए। कृषक डी.ए.पी. एवं यूरिया का बहुतायत से प्रयोग करते है। डी.ए.पी. की बढ़ती मांग, ऊंचे रेट एवं मौके पर स्थानीय अनुपलब्धता से कृषकों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

श्री आम्रवंशी ने बताया कि किसानों द्वारा मृदा स्वास्थ कार्ड की अनुशंसा के आधार पर डी.ए.पी. के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट, एन.पी.के. तथा अमोनियम फास्फेट व सल्फेट आदि उर्वरकों का उपयोग करने से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कृषक नाईट्रोजन फास्फोरस तो डी.ए.पी. एवं यूरिया के रूप में फसलों को प्रदाय करते है लेकिन पोटाश उर्वरक का उपयोग खेतों में न के बराबर करते हैं| जिससे उनकी उपज में दानों में चमक एवं वजन कम होता है और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को हानि होती है।

श्री आम्रवंशी ने बताया कि डी.ए.पी. के स्थान पर एस.एस.पी. के प्रयोग से भूमि की संरचना का सुधार होता है क्योंकि इसमें कॉपर 19 एवं सल्फर 11 प्रतिशत पाया जाता है। एस.एस.पी. पाउडर एवं दानेदार दोनों प्रकार का होता है। एस.एस.पी. पाउडर को खेत की तैयारी के समय प्रयोग किया जाता है। वहीं एस.एस.पी. दानेदार को बीज बोआई के समय बीज के नीचे प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि डी.ए.पी. में उपलब्ध 18 प्रतिशत नाईट्रोजन में से 15.5 प्रतिशत नाईट्रोजन अमोनिकल फार्म एवं 46 प्रतिशत फास्फोरस में से 39.5 प्रतिशत नाईट्रोजन पानी में घुलनशील फास्फोरस के रूप में मृदा को प्राप्त हो पाती है। शेष फास्फोरस के जमीन में फिक्स हो जाने के कारण जमीन कठोर होती है। श्री आम्रवंशी ने बताया कि नैनो तकनीक पर आधारित 20 प्रतिशत नाईट्रोजन से युक्त नैनो यूरिया, 8 प्रतिशत नाईट्रोजन एवं 16 प्रतिशत फास्फोरस से युक्त नैनो डी.ए.पी को यूरिया एवं डी.ए.पी. के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्या के नियंत्रण के लिए बनाया गया है। श्री आम्रवंशी के मुताबिक सामान्यतः एक स्वस्थ पौधे में नाईट्रोजन की मात्रा 1.5 से 4 प्रतिशत तक होती है| फसल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में नैनो यूरिया एवं नैनो डी.ए.पी. का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूर्ण होती है एवं साधारण यूरिया एवं डी.ए.पी. की तुलना में अधिक एवं उत्तम गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त होता है। उन्होंने बतया नैनो यूरिया एवं नैनो डी.ए.पी. के प्रयोग द्वारा फसल उपज, बायोमास, मृदा स्वास्थ और पोषण गुणवत्ता के सुधार के साथ ही यूरिया की आवश्कता को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। नैनो यूरिया 500 मिलीलीटर की कीमत 2 सौ 25 रुपये एवं नैनो डी.ए.पी. 500 मिलीलीटर की कीमत 6 सौ रूपये है। कृषकों द्वारा नैनो यूरिया, नैनो डी.ए.पी. एस.एस.पी. एवं एन.पी.के. विभिन्न ग्रेड के उर्वरकों का प्रयोग न्यायसंगत है।

खरीफ की बोनी के पहले किसानों को दी गई उर्वरकों के समुचित प्रयोग की सलाह

जबलपुर : खरीफ फसल की बोनी से पहले किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिले के किसानों को पौध-पोषक प्रबंधन के तहत नैनो तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी एवं अन्य उर्वरकों के समुचित प्रयोग की जानकारी प्रदान की गयी है| उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास रवि आम्रवंशी के मुताबिक़ संकर धान एवं संकर मक्का के लिए अनुशंसित नाईट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश 120:60:40, डी.एस.आर. पद्धति से बोनी के लिए 80:40:30 तथा दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए गंधक के साथ एन.पी.के. 20:60:20 बीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग में लाना चाहिए। कृषक डी.ए.पी. एवं यूरिया का बहुतायत से प्रयोग करते है। डी.ए.पी. की बढ़ती मांग, ऊंचे रेट एवं मौके पर स्थानीय अनुपलब्धता से कृषकों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

श्री आम्रवंशी ने बताया कि किसानों द्वारा मृदा स्वास्थ कार्ड की अनुशंसा के आधार पर डी.ए.पी. के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट, एन.पी.के. तथा अमोनियम फास्फेट व सल्फेट आदि उर्वरकों का उपयोग करने से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कृषक नाईट्रोजन फास्फोरस तो डी.ए.पी. एवं यूरिया के रूप में फसलों को प्रदाय करते है लेकिन पोटाश उर्वरक का उपयोग खेतों में न के बराबर करते हैं| जिससे उनकी उपज में दानों में चमक एवं वजन कम होता है और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को हानि होती है।

श्री आम्रवंशी ने बताया कि डी.ए.पी. के स्थान पर एस.एस.पी. के प्रयोग से भूमि की संरचना का सुधार होता है क्योंकि इसमें कॉपर 19 एवं सल्फर 11 प्रतिशत पाया जाता है। एस.एस.पी. पाउडर एवं दानेदार दोनों प्रकार का होता है। एस.एस.पी. पाउडर को खेत की तैयारी के समय प्रयोग किया जाता है। वहीं एस.एस.पी. दानेदार को बीज बोआई के समय बीज के नीचे प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि डी.ए.पी. में उपलब्ध 18 प्रतिशत नाईट्रोजन में से 15.5 प्रतिशत नाईट्रोजन अमोनिकल फार्म एवं 46 प्रतिशत फास्फोरस में से 39.5 प्रतिशत नाईट्रोजन पानी में घुलनशील फास्फोरस के रूप में मृदा को प्राप्त हो पाती है। शेष फास्फोरस के जमीन में फिक्स हो जाने के कारण जमीन कठोर होती है। श्री आम्रवंशी ने बताया कि नैनो तकनीक पर आधारित 20 प्रतिशत नाईट्रोजन से युक्त नैनो यूरिया, 8 प्रतिशत नाईट्रोजन एवं 16 प्रतिशत फास्फोरस से युक्त नैनो डी.ए.पी को यूरिया एवं डी.ए.पी. के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्या के नियंत्रण के लिए बनाया गया है। श्री आम्रवंशी के मुताबिक सामान्यतः एक स्वस्थ पौधे में नाईट्रोजन की मात्रा 1.5 से 4 प्रतिशत तक होती है| फसल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में नैनो यूरिया एवं नैनो डी.ए.पी. का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूर्ण होती है एवं साधारण यूरिया एवं डी.ए.पी. की तुलना में अधिक एवं उत्तम गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त होता है। उन्होंने बतया नैनो यूरिया एवं नैनो डी.ए.पी. के प्रयोग द्वारा फसल उपज, बायोमास, मृदा स्वास्थ और पोषण गुणवत्ता के सुधार के साथ ही यूरिया की आवश्कता को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। नैनो यूरिया 500 मिलीलीटर की कीमत 2 सौ 25 रुपये एवं नैनो डी.ए.पी. 500 मिलीलीटर की कीमत 6 सौ रूपये है। कृषकों द्वारा नैनो यूरिया, नैनो डी.ए.पी. एस.एस.पी. एवं एन.पी.के. विभिन्न ग्रेड के उर्वरकों का प्रयोग न्यायसंगत है।

पशुओं को गंभीर बीमारी से बचाने हेतु 14 जून तक टीकाकरण अभियान

बुरहानपुर :भारत सरकार द्वारा पशुओं को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए एक माह का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जिले में 15 मई से 14 जून, 2024 तक चलाया जा रहा है। इस दौरान पशु पालन विभाग द्वारा एफ.एम.डी. एवं पीपी.आर का टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें डॉ.हीरासिंह भंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि, दोनो बिमारी विषाणु जनित संकामक रोग होकर एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। एफ.एम.डी बिमारी में पशुओं के मुँह में छाले हो जाते है। इस कारण पशु को खाने में परेशानी होती है व पैर के खुर में घाव हो जाते है। जिससे दूध उत्पादन में कमी एवं कमजोर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। एफ.एम.डी टीकाकरण के तहत सभी लक्षित गौवंशीय एव भैस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार पीपी.आर टीकाकरण अंतर्गत सभी लक्षित भैड एवं बकरी प्रजाति के पशुओं हेतु टीकाकरण अभियान जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि, इस बिमारी में अचानक सें दस्त लगकर एवं चिल्लाकर बकरी या भैड मर जाती है। यह टीकाकरण पूरे जीवनकाल में एकबार ही लगता है और पशु पूरे जीवनकाल के लिए बिमारी से मुक्त हो जाता है।

उन्नत कृषि तकनीक से अवगत कराने क्लस्टरवार होंगी कृषक चौपाल

मंडला : इस वर्ष मौसम विभाग द्वारा 15 जून तक मानसून आने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में किसानों को खरीफ पूर्व उन्नत कृषि तकनीकि एवं मार्गदर्शन देकर उनको आवश्यक आदान सामग्रियों की व्यवस्था आदि विषयों पर विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। कृषक संगोष्ठी सह चौपाल का आयोजन क्लस्टरवार किया जाएगा। जारी निर्देश के अनुसार 25 मई को मंडला विकासखंड के कुटैली एवं नैनपुर के बिनौरी में कृषक संगोष्ठी सह चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। 27 मई को मवई के अंजनी एवं नारायणगंज के बीजेगांव, 28 मई को बीजाडांडी के विजयपुर एवं मोहगांव के कुमर्रा, 29 मई को मंडला के कुड़ोपानी एवं घुघरी के सलवाह, 30 मई को निवास के सिंगपुर एवं नारायणगंज के बबलिया तथा 31 मई 2024 को बिछिया के उमवाड़ा में कृषक संगोष्ठी सह चौपाल का आयोजन किया गया।

सहकारी विभाग के नव नियुक्त सहायक आयुक्तों का आधारभूत प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में सहकारिता विभाग के नव नियुक्त सहायक आयुक्तों हेतु कुल पांच सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 22.4.2024 से 24.5.2024 तक आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962, सहकारी न्यायप्रणाली , लेखांकन, अंकेक्षण एवं वित्तीय प्रबंधन, आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंतिम सप्ताह में प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली का विस्तृत एवं वास्तविक अध्ययन हेतु विशिष्ट सहकारी संस्थाओं का अध्ययन भ्रमण कराया गया।

अध्ययन भ्रमण हेतु प्रथमतः बैंक भोपाल शाखा, बैरसिया एवं प्राथमिक कृषि एवं साख सहकारी समिति बैरसिया, शासकीय उचित मूल्य की दुकान तरावली कलां एवं उपार्जन केन्द्र का भ्रमण किया गया। किसानों को कृषि के साथ साथ अल्पावधि ,मध्यावधि ऋण देने का महत्वपूर्ण कार्य इनके माध्यम से किया जाता है। उपार्जन केन्द्र के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी एवं भंडारण का कार्य किस प्रकार किया जाता है, जानकारी प्राप्त की। इन संस्थाओं का भ्रमण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भोपाल के अधिकारी श्री दधीच एवं बैरसिया बैंक के प्रबंधक श्री समीउल्ला कुरैशी द्वारा कराया गया।

इसके पश्चात आस्था महिला प्रतिभागियों द्वारा बैंक की कार्यप्रणाली एवं शैली का अध्ययन किया। आस्था महिला नागरिक बैंक के सी. ई. ओ. श्री अशोक दुबे द्वारा बैंक के गठन से लेकर वर्तमान तक पहुंचने की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। बैंक द्वारा प्रदाय किए जा रहे ऋण, बचत योजनाएं, लॉकर व्यवस्था, वित्तीय स्थिति, भविष्य की योजनाएं आदि पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान भी किया।

अगली कड़ी में बी.एच. ई. श्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी भोपाल का अध्ययन भ्रमण किया गया। यह समिति बी.एच.ई.एल. भोपाल के कर्मचारियों द्वारा गठित बहुराज्य साख समिति है। इस समिति में वर्तमान में लगभग साढे समिति के अध्यक्ष श्री बसंत कुमार एवं प्रबंधक श्री नरेश खत्री द्वारा समिति की कर्यप्रणाली एवं विभिन्न आंकड़ों का परिचय दिया। समिति द्वारा संचालित बचत बाजार का भी भ्रमण कराया गया।

इसके बाद मत्स्य महासंघ भोपाल का भ्रमण किया गया। मत्स्य महासंघ के सहायक प्रबंधक मोहम्मद आरिफ अंसारी द्वारा प्रतिभागियों को मछुआ सहकारी समिति की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन, मत्स्य महासंघ द्वारा इन समितियों के लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, आदि पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई तथा मत्स्य महासंघ में स्थित केन्द्र आदि का भ्रमण किया गया। अगली कड़ी में वरूण गृह निर्माण सहकारी समिति, किया गया। समिति के अध्यक्ष श्री व्ही.डी.भाले एवं सहकारी निरीक्षक श्रीमती सपना गुहा एवं श्री पंकज श्रीवास्तव सहकारी निरीक्षक द्वय द्वारा समिति का भ्रमण कराया गया। समिति के गठन, कार्यप्रणाली, प्रबंधन, रिकार्ड कीपिंग, समिति को कब और कौन कौन सी अनुमतियां आवश्यक होती हैं ,इत्यादि के बारे में बताया। विभिन्न रिकार्ड एवं पुस्तकों का निरीक्षण भी कराया गया।

समापन अवसर पर संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। प्रशिक्षण अंतर्गत अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम का समन्वय संघ की लेखाधिकारी श्रीमती रेखा पिप्पल तथा केन्द्र भोपाल के प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी द्वारा किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।